RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 24 / 2025 **GCMS NO:- 2025/65**

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा,
जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्री रेवतदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी ठाकरियासर, जाम्बा की ढाणी जाम्बा, तहसील बाप, जिला फलौदी।
2. श्री गणेश पुत्र श्री मदलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गांव झंवर, तसहील झंवर, जिला जोधपुर।
3. श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति राजपूत निवासी मौखाब, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।
4. श्री हिंगलाजदान जाति चारण निवासी रतकुड़िया, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।
5. कारोबार परिसर मालिक(अज्ञात) ग्राम पटाउ, तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा।
6. वाहन मालिक (अज्ञात) पिकअप टेंकर वाहन संख्या आर जे 04 जीसी 2426।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेतसिंह महेचा, अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 स्वयं अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 26.03.2025 को श्रीमान वृताधिकारी वृत पचपदरा, श्री अशोक जोशी द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही हेतु प्रार्थी व हमराह श्रीमान जिला रसद अधिकारी, बालोतरा श्री हजारीलाल अलोरिया, मौके पर राष्ट्रीय राजर्मार्ग बालोतरा जोधपुर रोड़ पर ग्राम पटाऊ में मुख्य मार्ग से लगभग 150 मीटर अन्दर खेतों में बने मकान के

जिला कलक्टर
बालोतरा

पास पहुंचे। मौके पर जांच करने पर मौके पर रसद विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा सयुक्त कार्यवाही में बिना इंजन के 24–24 हजार लीटर क्षमता के दो टैंकर, 2500–2500 क्षमता के दो पिकअप गाड़ी टैंकर मय डिस्पेसिंग यूनिट, एक जनेटर, दो मोटर मय प्लास्टिक पाईप व तीन प्लास्टिक ड्रम पाए गए। प्रथम दृष्ट्या पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एव कय–विक्रय किया जाना पाया गया। टैंकरों की जांच करने पर भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ को देखने सूंघने पर डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। भण्डारित अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की अनुमानित कुल मात्रा लगभग 53000 लीटर होना पाया गया। मौके पर पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को डिटेन कर बैठा रखा था, जिनसे पुछताछ में अपना नाम श्री माधुसिंह पुत्र श्री विशनसिंह निवासी मौखाब, श्री रेवतदान पुत्र श्री दुर्गादान, निवासी ठाकरियासर जाम्बा की ढ़ाणी, जाम्बा व श्री गणेश पुत्र श्री मदनलाल निवासी झंवर होना पाया गया। उक्त तीनों व्यक्यिों से पुछताछ एवं तलाशी में उनके पास एक विकय बुक एवं 500 रूपये के कुल 94 नोट राशि 47000 रूपये होना पाया गया। जिसके बारे में पुछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त बिल बुक एवं राशि डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ के 72 रूपये प्रति लीटर की दर से विक्रय करने पर प्राप्त राशि है। मौके पर डिटेन तीनों व्यक्तियों के पृथक पृथक बयान लिये गए। बयानों में तीनों व्यक्तियों ने बताया कि उनको श्री हिंगलाजदान, निवासी रतकुड़िया नें 13000 रूपये मासिक पर पेट्रोल पम्प पर काम करने के लिए रखा गया है एवं श्री हिंगलाज के कहने पर वे ग्राम पटाऊ में खेतों के अंदर रखें टैंकरों में से छोटी गाड़ी, पिकअप टैंकर जिसमें नोजल लगा हुआ है, मुझे डीजलनुमा पदार्थ भरकर भारतमाला ब्रिज के पास गाड़ी खड़ी कर डीजल बेचने का काम दिया गया है। टैंकरों से पिकअप टैंकर में डीजल भरकर ब्रिज के पास खड़ी कर गत तीन–चार दिनों से वाहनों में 72 रूपये प्रति लीटर की दर से डीजल का विक्रय किया जा रहा है। दिनांक 26.03.2025 को अवैध डीजल विक्रय से 47000 रूपये प्राप्त हुए, जो मौका जांच में उन व्यक्तियों के पास पाए गए। डीजलनुमा भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ के आमद बाबत् पुछताछ में उक्त पेट्रोलियम पदार्थ कहां से प्राप्त होता है, जानकारी नहीं होना तीनों व्यक्तियों ने बताया। मौका स्थल के नजदीक स्थित पेट्रोल पम्प मैसर्स हाजी मुसेखों एण्ड सन्स से डेनसिटी चार्ट एवं डेनसिटी किट मंगवाया जाकर चारों टैंकरों में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी जॉच की गयी, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्व (डेनसिटी) कमश 832, 832.06, 831.6 व 832.2 होना पाया गया। घनत्व जांच में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ के डीजल होने की संभावना प्रतीत होने पर सभी टैंकरों से थोड़ी–थोडी मात्रा निकालकर एल्युमिनियम के कंटेनर में नमुना लिया जाकर मौके पर सील कर सेम्पल पर हस्ताक्षर युक्त विवरण चस्पा किया गया, एवं कमश नमुना सं. A,B,C अंकित कर पुलिस

जिला कलक्टर
बालोतरा

अभिरक्षा में दिये गये। मौके पर डिटेन व्यक्तियों से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं कय–विक्रय से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, किन्तु मौके पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा जाने पर 24–24 हजार लीटर के भरे हुए, बिना इंजन के दो टेंकर, 2500–2500 लीटर के भरे हुए, पिकअप टैंकर मय डिस्पेंसिग यूनिट (कुल पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा 53000 लीटर) एक जनेटर, दो मोटर मय प्लास्टिक पाईप, तीन प्लास्टिक ड्रम व 47000 रूपये जब्त सरकार किये जाकर सुरक्षा कि दृष्टि से थानाधिकरी पचपदरा को अभिरक्षा में दिया गया, एवं दिनांक 27.03.2025 को थानाधिकारी पचपदरा श्री अमराराम खोखर को उक्त सभी सामग्री सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द की गयी। मौका जांच एवं डिटेन किये गये व्यक्तियों से पुछताछ में श्री माघुसिंह, श्री रेवतदान, श्री गणेश, श्री हिंगलाजदान, कारोबार परिसर मालिक व पिकअप वाहन सं. RJ 04 GC 2426 मालिक डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एव बिना लाईसेस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ अपने कब्जा में रखना, परिहवन करना तथा विक्रय करना संलिप्त होना पाया गया, जो कि मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूसन एवं प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेकटिस) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (f) (I,iv, vi, vii) व क्लॉज 04 का स्पष्ट उल्लघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा 53000 लीटर बायोडीजल नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 53000 लीटर बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री माघुसिंह, श्री रेवतदान, श्री गणेश, श्री हिंगलाजदान को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से गाड़ी में तथा टंकी ड्रम व कैन में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर अप्रार्थी (मौके पर तीनो शख्स) ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 53000 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। साथ ही मौके पर एक जनेटर, दो मोटर मय प्लास्टिक पाईप, तीन प्लास्टिक ड्रम व 47000 रूपये

जिला कलक्टर
बालोतरा

पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा बायोडीजल नुमा पदार्थ में से कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में "On the basis of Distillation Characteristics, the above liquid sample contained in the packet marked A was found to contain petroleum hydrocarbon fractions having density at 0.8346 at 15°C and flash point 56.3°C" होना बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 53000 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 53000 लीटर कथित बायोडीजल राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 53000 लीटर बायोडीजल का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। साथ ही आरोपी डिटेन व्यक्तियों से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) ब्रिकी राशि 47000/– रूपये को वास्ते वजह जो थानाधिकारी पचपदरा को अभिरक्षा में दिया गया, की राशि भी राजकाज में जमा करवाना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
जिला कलक्टर
बालोतरा